## परिवहन विभाग
## मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्रमांक 614/परि.वि./2011.- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 70-क के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विद्यमान मार्ग संचालकों को नियम 70-क के प्रावधानों से और छूट प्रदान करने की दृष्टि से, विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-2/आठ/परि./2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 को निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् –

**संशोधन**

उक्त आदेश में, –

1. खण्ड एक में, शब्द 'बारह माह' के स्थान पर, शब्द 'चौबीस माह की अवधि' प्रतिस्थापित किया जाएं.

2. खण्ड चार में शब्द, 'छः माह की अवधि' के स्थान पर, शब्द 'बारह माह की अवधि' प्रतिस्थपित किया जाएं.

No. 614/परि.वि./2011.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 70-A of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the State Government hereby, makes the following amendment in Department's Order No. F 5-2/VIII/Tr./2011, dated 08th August, 2011, with a view to grant further relaxation to the existing route operators from the provisions of rule 70-A, namely —

***AMENDMENT***

In the said order,—

1. In clause 1, for the words "a period of twelve months", the words "a period of twenty four months" shall be substituted.

2. In clause 4, for the words "a period of six months", the words "a period of twelve months" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

## परिवहन विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक 4733/तक./परि./2011. – मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) एवं उक्त उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के उपबन्धों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभागीय अधिसूचना क्रमांक-1023/परि./2007, दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उसमें उल्लेखित भाड़ा को निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देती है :–

### निर्देश

नीचे दी गई अनुसूची में कॉलम (01) में उल्लेखित प्रकार के संविदा वाहन तथा प्रक्रम वाहन के रूप में संचालित नगर वाहनों के कि.मी. मापित दूरी के लिए प्रभारणीय अधिकतम भाड़ा उक्त अनुसूची के कॉलम (02) में उनके सामने उल्लेखित दरों के समान होगा :–

| स.क्र. | संविदा वाहन का प्रकार | किराए की दर |
|---|---|---|
| 1. | मोटर-केब/टेक्सी (डीजल चलित) | रू. 08.00 प्रथम कि.मी. या उसके भाग के लिए, और तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रू. 05.00. |
| 2. | मोटर-केब/टेक्सी (पेट्रोल चलित) | रू. 14.00 न्यूनतम भाड़े के अध्यधीन रहते हुए 1/2 कि.मी. हेतु रू. 05.00. |
| 3. | तीन पहिये वाले टेम्पों (डीजल चलित) | रू. 07.00 प्रथम कि.मी. अथवा उसके भाग के लिए, और तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भग के लिए 05.00. |
| 4. | स्कूटर-रिक्शा (डीजल चलित) | रू. 08.00 प्रथम कि.मी. अथवा उसके भाग के लिए, और तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए 07.00. |
| 5. | स्कूटर रिक्शा (पेट्रोल चलित) | रू. 11.00 प्रथम कि.मी. अथवा उसके भाग के लिए, और तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भग के लिए रू. 07.00. |
| 6. | सिटी बस (प्रक्रम/संविदा वाहन) जो नगर-निगम/छावनी क्षेत्रों या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों या नगर पालिका और पार्श्वस्थ मार्गों जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, पर चलाये जाते हो :– | |
| | (क) ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता 07 से 13 तक चालक को अपवर्जित करते हुए हों – | प्रथम 03 कि.मी. तक प्रति यात्री/सीट के लिए रू. 04.00 और तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रू. 01.00. |
| | (ख) ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता 13 से अधिक हों – | 03 कि.मी. तक का किराया – रू. 04.00<br>07 कि.मी. तक का किराया – रू. 06.00<br>10 कि.मी. तक का किराया – रू. 07.00<br>13 कि.मी. तक का किराया – रू. 08.00<br>16 कि.मी. तक का किराया – रू. 10.00<br>19 कि.मी. तक का किराया – रू. 11.00<br>22 कि.मी. तक का किराया – रू. 12.00<br>25 कि.मी. तक का किराया – रू. 13.00<br>25 कि.मी. से अधिक का किराया – रू. 16.00 |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एस. मरावी, सचिव

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक 4733/तक./परि./2011. – भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक 4733/तक./परि./2011, दिनांक 23-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मारावी, सचिव.

Raipur, the 23rd August 2011

No. 4733/तक./2011.— In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 67 of the Motor Vehicle Act 1988 (No. 59 of 1988) and having regard to the provision of clauses (a) to (d) of the said sub-section (I) and in supersession of Department Notification No. 1023/Trans./07 date 15th October 2007. the State Government hereby. issues the following directions to the State Transport Authority and the Regional Transport Authority in the State, regarding fixing of fares mentioned therein :—

**DIRECTIONS**

The maximum fare chargeable to the distance measured in Kilometers for the type of Contract Carriage and Stage Carriage of City Buses specified in column (1) of the schedule below shall be at the rates specified in corresponding entries against them in the column (2) of the said schedule.

| S.No | Type of Contractg Carriage | Fare |
|---|---|---|
| 1. | Motor Cab/Taxi (Diesel Driven) | Rs. 08.00 for the first Kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 05.00 for every kilomcter or part thereof. |
| 2 | Motor Cab/Taxi (Petrol Driven) | Rs. 05.00 for ½ Kilometer subject to a minimum of Rs. 14.00. |
| 3 | Three wheeler Tempo (Diesel Driven) with seating capacity up to 06 excluding the driver. | Rs. 07.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 05:00 for every kilometer or part thereof. |
| 4 | Scooter-Rickshaw (Diesel Driven) | Rs. 08.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter, Rs. 07.00 for every kilometer or part thereof. |
| 5 | Scooter-Rickshaw (Petrol Driven) | Rs. 11.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter, Rs. 07.00 for every kilometer or part thereof. |
| 6. | City Bus (Stage Carriage/Contract Carriage) plying within the Municipal Corporation/Contonment Area or Special Area Development Authority or on such routes serving Municipal and Adjacent area as may be approved by the State Government :— | |
| | (a) Vehicle with seating capacity seven to thirteen excluding the driver. | Rs. 04.00 for the first three Kilometers per passanger/ seat. and thereafter Rs. 01.00 for every kilometer part thereof. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (b) | Vehicle with seating capacity exceeding thirteen. | Fare up to 03 Kilometers | Rs. 04.00 |
| | | Fare up to 07 Kilometers | Rs. 06.00 |
| | | Fare up to 10 Kilometers | Rs. 07.00 |
| | | Fare up to 13 Kilometers | Rs. 08.00 |
| | | Fare up to 16 Kilometers | Rs. 10.00 |
| | | Fare up to 19 Kilometers | Rs. 11.00 |
| | | Fare up to 22 Kilometers | Rs. 12.00 |
| | | Fare up to 25 Kilometers | Rs. 13.00 |
| | | Fare for more then 25 Km. | Rs. 16.00 |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
**B. S. Maravi,** Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्रमांक 4883/तक. 46/परि.वि./2011. – छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की सम्भावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान पर विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (परिवहन), छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. 384), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में, प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

**संशोधन प्रारूप**

उक्त नियमों में :–

1. नियम 158 के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उन-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

(3) उप-नियम (1) एवं (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीटों की न्यूनतम संख्या जो उपबंधित की जानी है, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) अथवा (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी एवं बैठक क्षमता से संबंधित अन्य नियमों के अनुरूप, चेसिस के प्रकार जिस पर ढांचा स्थापित किया गया है, का सम्यक् ध्यान रखते हुए संचालक क्षमता में वृद्धि कर सकता है.

**तालिका**

| स.क्र. | व्हील बेस मि.मी. | इंच | साधारण वाहन (न्यूनतम बैठक क्षमता) | एक्सप्रेस वाहन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 2,540-2,921 | 100-115 | 16 | पंजीयन प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय |
| 2. | 2,946-3,048 | 116-120 | 20 | मोटरयान नियम, 1989 के |
| 3. | 3,073-3,429 | 121-135 | 25 | नियम 128 के अनुसार सीटों |
| 4. | 3,454-4,064 | 136-160 | 30 | का समनुदेशन (आबंटन) |
| 5. | 4,089-4,318 | 161-170 | 40 | किया जायेगा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 6. | 4,343-4,953 | 171-195 | 44 | |
| 7. | 4,978-5,207 | 196-205 | 48 | |
| 8. | 5,232-5,334 | 206-210 | 55 | |
| 9. | 5,334 से अधिक | 210 से अधिक | पंजीयन अधिकारी द्वारा नियम 158 के अनुसार ही सीटों का समनुदेशन (आबंटन) किया जायेगा. | |

परन्तु यह कि पंजीयन प्राधिकारी किसी लोक सेवा यान के संबंध में ऊपर दी गई सीटों में परिवर्तन कर सकता है, जहां तल का कुल क्षेत्र एवं ले-आऊट ऊपर दी गई बैठक क्षमता का समनुदेशन अनुज्ञात नहीं करता, परन्तु यह परिवर्तन दो अथवा तीन सीट से अधिक का नहीं होगा.

2. नियम 158 के उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(4) नियम 46 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस उप-नियम (3) के लागू होने से पूर्व उपर्युक्त उप नियम (3) के द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध जहां तक वे पंजीकृत प्रक्रम वाहन के संबंध में है, उस उप-नियम के प्रारंभ होने की तारीख से चार माह की अवधि के बाद ही प्रभावी (लागू) होंगे और सीट, सीटिंग ले-आऊट, स्लीपर बर्थ अथवा अन्य कोई अत्यंत आवश्यक जानकारी का भौतिक सत्यापन पंजीयन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मारावी, सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्रमांक 4883/तक. 46/परि.वि./2011. – भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4883/तक. 46/परि.वि./2011, दिनांक 27-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मारावी, सचिव.

Raipur, the 27th August

No 4883/Tech-46/Trans. Office/2011. — The following draive of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994 which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) is published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said after received from any person before the specified period, in office hours, by the office of the Principal Secretary (Transport), Government of Chhattisgarh, (Room No. 384) Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

## DRAFT AMENDMENT

In the said rules :—

1. For sub-rule (3) of Rule 158, the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2) the minimum number of seats to be provided shall be specified in Column (4) or (5) of the following Table, leaving to the operator to increase the capacity consistent with other rules relating to the seating capacity, having due regard to the type of chassis on which the body is built :—

**TABLE**

| S.No. | Wheel Base M.M. | Wheel Base Inches | Ordinary Vehicle (Minimum Seating Capacity) | Express Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 2,540-2,921 | 100-115 | 16 | Assignment of seats shall be strictly in accordance with Rule 128 of the Central Motor Vehicles Rule 1989 by the Registering Authority. |
| 2. | 2,946-3,048 | 116-120 | 20 | |
| 3. | 3,073-3,429 | 121-135 | 25 | |
| 4. | 3,454-4,064 | 136-160 | 30 | |
| 5. | 4,089-4,318 | 161-170 | 40 | |
| 6. | 4,343-4,953 | 171-195 | 44 | |
| 7. | 4,978-5,207 | 196-205 | 48 | |
| 8. | 5,232-5,334 | 206-210 | 55 | |
| 9. | Above-5,334 | Above-210 | Assignment of seats shall be strictly in accordance with Rule 158 by the Registering Authority | |

Provided that the Registering Authority may vary above seats in respect of any public service vehicles where the floor space and layout do not permit to assigned the above seating capacity but it shall not be varied more than two or three seats.

2 For sub-rule (4) of Rule 158 the following sub -rule shall be substituted, namely :—

(4) Subject to the provision of Rule 46 the restriction imposed by sub-rule (3) above in so for as they relate to the Stage Carriage registered before the coming into force of this sub-rule (3), shall be operative only after a period of four months from the date of commencement of that sub-rule and physical verification of seats seating layout sleeper berths or any vital information necessary shall be done by the Registering Authority.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
**B. S. MARAVI,** Secretaiy.

---

## परिवहन विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्रमांक 614/परि. वि./2011. – छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 70-क के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा विद्यमान मार्ग संचालकों को नियम 70-क के प्रावधानों से और छूट प्रदान करने की दृष्टि से, विभाग के आदेश क्र. एफ 5-2/आठ/परि./2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

### संशोधन

उक्त आदेश में, –

1. खण्ड 1 में शब्द ''बारह माह'' के स्थान पर, शब्द ''चौबीस माह की अवधि'' प्रतिस्थापित किया जाये.
2. खण्ड 4 में शब्द ''छः माह की अवधि'' के स्थान पर, शब्द ''बारह माह की अवधि'' प्रतिस्थापित किया जाये.

No. 614/परि. वि./2011. – In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 70-A of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules 1994 the State Government hereby, makes the following amendment in Department's Order No. F. 5-2/VIII/Tr./2011, dated 08th August, 2011, with a view to grant further relaxation to the existing route operators from the provisions of rule 70-A, namely :—

**AMENDMENT**

In the said order,—

1. In clause 1, for the words "a period of twelve months", the words "a period of twenty four months" shall be substituted.

2. In clause 4, for the words "a period of six months", the words "a period of twelve months" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बी. एस. मरावी,** सचिव.

## परिवहन विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

क्रमांक 205/तक./परि./2012. – छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान के पश्चात विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (परिवहन), छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक 384, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

## संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में, –

1. नियम 70-क के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में, अंक ''65'' के स्थान पर अंक ''100'' प्रतिस्थापित किया जाए.
2. नियम 70-क के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में, अंक ''65'' तथा अंक ''165''के स्थान पर, क्रमशः अंक ''100'' तथा अंक ''200'' प्रतिस्थापित किया जाए.
3. नियम 70-क के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) में, अंक ''165'' के स्थान पर अंक ''200'' प्रतिस्थापित किया जाए.
4. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (क) में, अंक ''8'' के स्थान पर, अंक ''12'' प्रतिस्थापित किया जाए.
5. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (ख ) के सरल क्रमांक (2) में, अंक ''40'' के स्थान पर, अंक ''35'' प्रतिस्थापित किया जाए.
6. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (क) में, अंक ''10'' के स्थान पर, अंक ''15'' प्रतिस्थापित किया जाए.
7. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (ख) में, अंक ''35'' तथा ''35'' के स्थान पर, क्रमशः अंक ''30'' तथा अंक ''30'' प्रतिस्थापित किया जाए.
8. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (ख) के प्रथम परन्तु में, शब्द परन्तुक के पश्चात् शब्द ''डीलक्स बस'' अन्तःस्थापित किया जाएं.
9. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (तीन) में, अंक ''12'' के स्थान पर अंक ''15'' प्रतिस्थापित किया जाए.
10. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (चार) में, अंक ''8'', ''10'' तथा ''12'' के स्थान पर, क्रमशः अंक ''12'' ''15'' तथा ''15'' प्रतिस्थापित किया जाए.

Raipur, the 13th January 2012

No. 205/तक./परि./2012. — The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government in exercising the power conferred by Sections 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), proposes to make, is hereby published as required by sub-section (l) of Section 212 of the said Act. For the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken in to consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the office of the Principal Secretary (Transport), Government of Chhattisgarh, Room No-384, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

## DRAFT AMENDMENT

In the said rules.—

1. In clause (a) of sub-rule (I) of Rule 70-A, for the figure "65" the figure "100" shall he substituted.

2. In clause (h) of sub-rule (I) of Rule 70-A, for the figures "65" and "165" the figures "100" and "200" shall be substituted respectively.

3. In clause (c) of sub-rule (I) of Rule 70-A, for the figure "165" the figure "200" shall he subsutituted.

4. In sub-clause (a) of clause (i) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "08" the figure '12" shall he substituted.

5. In serial number (Two) of sub-clause (h) of clause (i) of sub-rule (2) of Rule 70-A. for the figure "40" the figure "35" shall he substituted.

6. In sub-clause (a) of clause (ii) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "10" the figure "15" shall he substituted.

7. In sub-clause (b) of clause (ii) of sub-rule (2) of Rule 70-A. for the liures "35" and "35", the figures "30" and "30" shall be substituted respectively.

8. In the first proviso of sub-clause (b) of clause (ii) of sub-rule (2) of Rule 70-A, after the words "in respect of the words "Deluxe Bus." shall be inserted.

9. In clause (iii) of sub rule (2) of Rule 70-A fo the figure "12" the figure "15" shall be substituted.

10 In clause (iv) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "08", "10", "12" the figure "12", "15" and "15" shall be substituted respectively.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बी. एस. मरावी, सचिव.**